न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/125/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/408

अपीलार्थी

श्री ओमप्रकाश कौशिक पुत्र स्व. श्री रामजीलाल,
से.नि. रेलवे स्टेशन अधीक्षक, बी–22, आनन्द विहार,
रेलवे कॉलोनी, अलवर (राज.)–301001

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 19.09.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 10.10.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 12.08.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं द्वारा प्रस्तुत शिकायत Complaint OP/04/81 (FIRST) DT. 04-08-2022 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 12.09.22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए पत्र सं. 2292 दिनांक: 06.10.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांक: 12.08.2022**, प्रथम अपील दिनांक: 12.09.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर उक्तानुसार पत्र सं. 2292 दिनांक: 06.10.22 के माध्यम से अपीलार्थी को 07 पृष्ठीय (बहुपृष्ठीय) सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण अपील खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 10.10.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)